



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 256) पटना, बृहस्पतिवार, 31 मार्च 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

31 मार्च 2016

सं० एल0जी0-01-06/2016/50 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 मार्च 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 3, 2016]

बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016

(बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित)

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 में संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ—** (1) यह अधिनियम बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-1 का संशोधन।—**(1) बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-1 की उप धारा (2) द्वारा निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
3. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-2 की उप धारा (17) के पश्चात् एक नई उप धारा (17 क) का अंतःस्थापन।—** धारा-2 की उप धारा (17) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा (17 क) अन्तःस्थापित की जाएगी, यथा:—
“(17 क)— सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ लोगों की पहुँच हो चाहे अधिकार से अथवा नहीं और इसमें आम लोगों द्वारा आने-जाने वाले सभी स्थान सम्मिलित हैं और इसमें कोई खुला स्थान भी सम्मिलित है।”
4. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-2 की उप धारा (21) के पश्चात् एक नई उप धारा(22) का अंतःस्थापन।—**(i) धारा-2 की उप धारा (21) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा (22) अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :—
“(22)— अनधिकृत स्थान से अभिप्रेत है वैसा स्थान जो सार्वजनिक स्थान हो और जहाँ विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र को छोड़कर मद्यपान करने की अनुमति न हो।”
5. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-4 के बाद एक नई धारा-4 क का अंतःस्थापन।—**(1) धारा-4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा-4 क अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—
“4क— मादक द्रव्य घोषित करने की शक्ति— धारा-2 के अधीन उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनार्थ ऐसी वस्तुओं या पदार्थों, जिसे मद्यसार (अल्कोहल) के प्रतिस्थानी के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, मादक द्रव्यों के रूप में घोषित कर सकती है।”
6. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-19 का संशोधन।—**(i) (खंड-2) (ख) को हटाना—
बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) की धारा-19 की उपधारा (2) के खंड (ख) को हटा दिया जाएगा।
(ii) धारा-19 की उप धारा (4) का संशोधन— बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) की धारा-19 की उपधारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—
“(4)— इस अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी निर्माणी, बोटलबंद (बॉटलिंग) संयंत्र, अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी व्यक्ति को निर्माण करने बोटलबंद करने, वितरण करने, बिक्री करने, रखने अथवा उसे पीने पर सभी मादक द्रव्यों अथवा किसी मादक द्रव्यों की बाबत या तो पूर्णरूपेण अथवा ऐसी शर्तों पर जो विहित किया जाय सम्पूर्ण बिहार में अथवा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगा सकेगी।”
7. **बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 के अध्याय VIII, “अपराध और शास्ति” के अधीन उपबंधों का संशोधन एवं प्रतिस्थापन।—**(i) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-47 का प्रतिस्थापन—
उक्त अधिनियम की धारा-47 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—
“47— विधिविरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व, विक्रय आदि के लिए शास्ति— जो कोई भी, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किसी नियम या किए गए आदेश या निर्गत अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन या इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र या पास के किसी शर्तों के उल्लंघन अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र अथवा पास के बिना—
(क) किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करता है, स्वामित्व रखता है, बिक्रय करता है, वितरण करता है, बोटल बंद करता है, निर्यात करता है, आयात करता है, ढोता है या हटाता है; या
(ख) किसी भांग/गाँजा पौधों की खेती करता है; या
(ग) कोई कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, शराब कारखाना या भांडागार का निर्माण करता है या स्थापित करता है; या
(घ) विक्रय के प्रयोजन से किसी मद्य को बोटल में भरता है; या
(ङ) किसी मादक द्रव्य के उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, आसवनी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या उपस्कर अथवा परिसर जो कुछ भी हो, का उपयोग करता है, रखता है या उसके आधिपत्य में है; या

(च) राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न (लोगो) या किसी राज्य के प्रतीक चिह्न (लोगो) सहित या रहित कोई सामग्री अथवा फिल्म या आवरण (रेपर) या कोई अन्य चीज, जिसमें मादक द्रव्य को पैक किया जा सकता है, रखता है या किसी मादक द्रव्य के पैकिंग के प्रयोजनार्थ कोई उपकरण या उपस्कर या मशीन रखता है; या

(छ) कोई मादक द्रव्य बेचता हो, विहित मात्रा से परे कोई मादक द्रव्य संग्रह करता हो, रखता हो या क्रय करता हो; या

(ज) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त, स्थापित, प्राधिकृत या बने रहे किसी शराब कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, भांडागार, भंडारण के अन्य स्थान से किसी मादक द्रव्य को हटाता है :

कम-से-कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर दस लाख तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।”

(ii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-47 क के लिए एक नई धारा का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-47 क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“47क— कंपनियों द्वारा अपराध किया जाना—

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करनेवाला व्यक्ति कंपनी है, तो अपराध किए जाने के समय कारबार के संचालन हेतु कंपनी और कंपनी प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी के प्रति जिम्मेवार प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा;

परन्तु यह कि जहाँ कंपनी की विभिन्न संस्थापन या शाखाएँ हों या किसी संस्थापन या शाखा में विभिन्न इकाई हो, संबद्ध मुख्य कार्यपालक और कार-बार के संचालन के लिए कंपनी द्वारा नामित ऐसे संस्थापन, शाखा, इकाई के जिम्मेवार और प्रभारी व्यक्ति ऐसे संस्थापन, शाखा, इकाई के मामले में उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे :

परन्तु, यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लायक नहीं बनाएगी, यदि वह साबित करता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुई या यह कि ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता दिखलाई।

(2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या मौनानुमति या उनकी ओर से उपेक्षा के फलस्वरूप अपराध किया जाना साबित हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा।

(3) यह धारा ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जहाँ अधिकांश शेयर होल्डर केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा ऐसी कंपनियों जिसे बोर्ड छूट दे सके द्वारा धारित हो।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनार्थ — “कंपनी” से अभिप्रेत है, कोई कारपोरेट निकाय और जिसमें फर्म या व्यष्टि-संगम सम्मिलित हो; और फर्म के संबंध में ‘निदेशक’, से अभिप्रेत है फर्म में भागीदार।”

(iii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-48 का प्रतिस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-48 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“48— कतिपय मामलों में अपराध किए जाने की बाबत उपधारणा —

(1) इस अधिनियम के किसी सुसंगत उपबंध के अधीन अभियोजन में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारित किया जाएगा, कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी मादक द्रव्य, परिसर, स्टिल (आसवनी), बर्तन, उपकरण या उपस्कर रखने के मामले में उस धारा के अधीन दंडनीय अपराध किया है और जिसका संतोषप्रद जवाब देने में वह असमर्थ है।

(2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध किए जाने में कोई जानवर, पात्र या गाड़ी या अन्य वाहन और किसी परिसरों का इस्तेमाल किया गया हो, जो अधिहरण किये जाने का भागी हो और/अथवा मुहरबंद किये जाने का भागी हो, तो उसके स्वामी अथवा अधिभोगी को ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और ऐसे स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह न्यायालय को इस बात से संतुष्ट नहीं करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के होने को रोकने में सम्यक् सावधानी बरती थी।”

(iv) बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-49 का प्रतिस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-49 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“49— मानव उपभोग के उपयुक्त विकृत आसव देने के लिए शास्ति —

जो कोई भी, मानव उपभोग के उपयुक्त विकृत कोई आसव देता है या देने का प्रयास करता है, जिसे विकृत किया गया है या उसकी जानकारी में ऐसा आसव उसके पास है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि आसव को विकृत करने का ऐसा प्रयास किया गया है, कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम-से-कम एक लाख रुपये का जुर्माना, जो बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।”

(v) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-50 का प्रतिस्थापन—
उक्त अधिनियम की धारा-50 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: —

“50— मद्य के साथ हानिकर पदार्थ मिश्रित करने के लिए शास्ति — जो कोई स्वयं द्वारा बेचे गए या विनिर्मित या अपने स्वामित्व में रखे गए किसी मद्य के साथ कोई ऐसा हानिकर औषध या विजातीय अवयव, जिसके कारण मानव को विकलांगता या गंभीर क्षति या मृत्यु होने की संभावना प्रबल हो, मिश्रित करता है या मिश्रित करने की अनुमति देता है, वह—

(क) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और कम से कम पाँच लाख रू० का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक किया जा सकेगा, का भी भागी होगा;

(ख) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को विकलांगता या गंभीर क्षति होती है, तो कम से कम दस वर्षों के कठोर कारावास, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा, और कम से कम दो लाख रू० का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा;

(ग) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी को पारिणामिक क्षति होती है, तो कम से कम आठ वर्षों के कारावास, जिसे बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू० का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा;

(घ) ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, तो कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू० का जुर्माना जिसे बढ़ाकर पाँच लाख रू० तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ ‘गंभीर क्षति’ अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का XLV) की धारा—320 में है।”

(vi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा—51 का प्रतिस्थापन—

उक्त अधिनियम की धारा—51 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“51— नकली मद्य (शराब) बेचने के लिए शास्ति —

जो कोई यह जानकारी रखते हुए या जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह देशी शराब है, लेकिन उसे विदेश से आयातित विदेशी शराब के रूप में बेचता है या बिक्री के लिए रखता है या दिखलाता है, तो वह कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।”

(vii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा—52 का प्रतिस्थापन —

उक्त अधिनियम की धारा—52 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“52— कपट के लिए शास्ति—

जो कोई,

(क) ऐसा मद्य, जिसके बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है कि यह देशी शराब है, लेकिन विदेशी शराब के रूप में बेचता है या बिक्री के लिए रखता है या दिखलाता है, या

(ख) ऐसी देशी शराब वाले किसी बोतल, डिब्बा या पैकेज या अन्य पात्र या ऐसे किसी बोतल के कॉर्क को चिह्नित करता है, या ऐसी देशी शराब वाले किसी बोतल, डिब्बा, पैकेज या ऐसे अन्य पात्र का कारबार करता है या देशी शराब वाले किसी बोतल, डिब्बा, पैकेज या ऐसे पात्र का कारबार इस अभिप्राय से करता है, जिससे विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे बोतल, डिब्बा, पैकेज अथवा अन्य पात्र में विदेशी शराब है;

कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू० का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक भी किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।”

(viii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा—53 का प्रतिस्थापन—

उक्त अधिनियम की धारा—53 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“53— सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान के लिए शास्ति—

जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली, निर्गत अधिसूचना या दिए गए आदेश के उल्लंघन में—

(क) सार्वजनिक स्थल में या अनधिकृत स्थान पर मद्यपान करता है; या

(ख) सार्वजनिक स्थल में या अनधिकृत स्थान में या अधिकृत स्थान में मद्यपान करता है और उपद्रव करता है; या

(ग) मद्य संस्थापन के परिसरों में या अपने परिसरों में नशाखोरी या असमाजिक तत्वों के जमावड़ा की अनुमति देता है; वह,

(1) खंड (क) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम पाँच वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू० जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(2) खंड (ख) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम सात वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू० जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक किया जा सकेगा से दंडनीय होगा।

(3) खंड (ग) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम दस वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू० जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू० तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।”

(ix) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-54 का प्रतिस्थापन—

उक्त अधिनियम की धारा-54 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“54— मादक द्रव्य, जिसकी बाबत अपराध किया गया है, के स्वामित्व के लिए शास्ति —

यदि कोई व्यक्ति, बिना विधिसम्मत प्राधिकार के, अपने आधिपत्य में ऐसा मादक द्रव्य रखता है, जिसके बारे में उसे जानकारी है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि यह विधिविरुद्ध आयातित, ढोया गया या विनिर्मित है, या जिसके बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उस पर विहित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्षों तक किया जा सकेगा से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना का भी भागी होगा जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा और जुर्माना के भुगतान के चूक की स्थिति में उसे और कारावास जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकेगा, से दंडित किया जाएगा।”

(x) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-55 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-55 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“55— रसायनज्ञ की दुकान में मद्यपान के लिए शास्ति—

(1) यदि कोई रसायनज्ञ, औषधि विक्रेता, भेषजिक अथवा औषधालय को चलाने वाला किसी प्रकार के मद्य जो औषधीय प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप से स्वास्थ्यकर नहीं है, को अपने कारोबारी परिसर में पीने हेतु अनुमति दे तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे परिसरों में ऐसा मद्यपान करता है तो वह कम से कम पाँच वर्षों के कारावास जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो कम से कम एक लाख रुपये होगो जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।”

(xi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-56 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-56 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“56— अवैध विज्ञापन के लिए शास्ति— जो कोई किसी मद्य के प्रयोग के लिए किसी मीडिया जिसमें फिल्म एवं दूरदर्शन अथवा कोई सामाजिक प्लेटफार्म शामिल है में याचना करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन मुद्रित करे, प्रकाशित करे अथवा दे तो वह कम से कम पाँच वर्षों के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा अथवा जुर्माना जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा :

परन्तु उत्पाद आयुक्त द्वारा उपभोक्ता की सूचना और शिक्षा के लिए बिक्री स्थल पर प्रदर्शन हेतु सामान्यतया अथवा विशेष रूप से अनुमोदित सूची पत्र और मूल्य सूची एवं विज्ञापन पर यह धारा लागू नहीं होगी।”

(xii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-57 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-57 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“57— किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के कारण आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन, बिक्री अथवा कब्जा के लिए शास्ति

(1) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कारण किसी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन किया जाता है अथवा उसे बेचा जाता है अथवा उसे कब्जा में रखा जाता है और ऐसा अन्य व्यक्ति जानता है अथवा उसे विश्वास करने का कारण होता है कि ऐसा आयात, निर्यात, विनिर्माण, परिवहन अथवा बिक्री उसके खाते में या अथवा ऐसा कब्जा उसके खाते में है तो मादक द्रव्य इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आयात किया गया, निर्यात किया गया, वहन किया गया अथवा विनिर्माण किया गया अथवा उसके कब्जे में पाया गया समझा जाएगा और वह कम-से-कम आठ वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माना जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति के कारण किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करता है, विक्रय करता है अथवा अपने कब्जे में रखता है इस अधिनियम के अधीन किसी दंड अथवा ऐसे मादक द्रव्य के अवैध विनिर्माण, बिक्री अथवा कब्जा में रखने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।”

(xiii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-58 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-58 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“58— प्रतिकर के भुगतान हेतु कलक्टर द्वारा आदेश

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करते समय कलक्टर का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति किसी स्थान पर बेचे जानेवाले मद्य को पीने के कारण हुई है तो वह विनिर्माता और विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में सिद्धदोष हुआ है अथवा नहीं को प्रतिकर के रूप में कम से कम चार लाख रुपये हरेक मृतक के वैध प्रतिनिधि को अथवा दो लाख रुपये गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को अथवा बीस हजार रुपये ऐसे व्यक्ति को जिसे कोई अन्य पारिणामिक क्षति हुई हो, भुगतान करने का आदेश दे सकेगा;

परन्तु जहाँ मद्य की बिक्री अनुज्ञप्त दुकान से की जाती हो तो इस धारा के अधीन प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर होगा।

(2) कलक्टर लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम IV, 1914) के अधीन "लोक मांग" के रूप में उक्त प्रतिकर की वसूली कर सकेगा।

(3) उप धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिनों के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परन्तु आरोपी द्वारा तबतक अपील नहीं किया जा सकेगा जबतक कि वह उप धारा (1) के अधीन न्यायालय में आदेशित राशि संदत्त न कर दे :

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय 30 (तीस) दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था।

(xiv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-59 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-59 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"59— अनुज्ञप्तिधारियों, आदि के कदाचार के लिए शास्ति—

इस अधिनियम के अधीन जिस किसी को अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा निर्गत किया जाय अथवा ऐसे धारक के नियोजन में होने और उसकी ओर से कार्य करने से वह—

(क) ऐसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र को किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य पदाधिकारी की मांग पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अपनी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन में जानबूझकर कुछ करता है अथवा कुछ छोड़ देता है; अथवा

(ग) अपने परिसरों में किसी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सहयोग नहीं करता है,

(घ) विवरणी जमा करने में असफल रहता है तो सिद्धदोष होने पर

(1) खंड (क) के अधीन आनेवाले किसी अपराध की दशा में कम से कम एक लाख रुपये जुर्माना जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(2) खंड (ख) के अधीन आनेवाले किसी अपराध की दशा में कम से कम सात वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रुपया जुर्माना जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(3) खंड (ग) और (घ) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जा सकेगा और उत्तरवर्ती विलम्ब के लिए प्रति दिन दस हजार रुपये से दंडनीय होगा।"

(xv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-60 का प्रतिस्थापन—उक्त अधिनियम की धारा-60 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"60— अवयस्कों अथवा महिलाओं को नियोजित करने अथवा अवयस्कों को मद्य की बिक्री करने हेतु शास्ति—

(1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो स्पष्ट रूप से 21 वर्ष से कम आयु का हो, किसी मद्य की बिक्री करता है अथवा उसे देता है तो वह कम से कम सात वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो कम से कम एक लाख रुपये होगा और जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को अथवा किसी महिला को नियोजित करे तो वह कारावास जो कम से कम पाँच वर्षों का होगा और जिसे सात वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा जुर्माना जो कम से कम एक लाख रुपये का होगा और जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"

(xvi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-61 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-61 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"61—हमला और बाधा के लिए शास्ति— भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का XLV) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी अथवा सरकारी कर्तव्य पर तैनात किसी अन्य पदाधिकारी पर हमला करे अथवा हमला करने की धमकी दे, अथवा बाधा पहुँचाए अथवा बाधा पहुँचाने की कोशिश करे तो वह कम से कम आठ वर्षों के कारावास जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना जो कम से कम एक लाख रुपये होगा और जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।"

(xvii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-62 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-62 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"62—शुल्क अथवा फीस के असंदाय (गैर अदायगी) के लिए शास्ति— यदि इस अधिनियम के अधीन संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति कोई शुल्क अथवा फीस का संदाय करने में असफल रहे तो वह कम से कम सात वर्षों के

कारावास से जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रुपया जुर्माना जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, से भी दंडनीय होगा।”

(xviii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-63 का प्रतिस्थापन—उक्त अधिनियम की धारा-63 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“63— अपराध करने के लिए परिसरों आदि को उपयोग में लाने की अनुमति देने हेतु शास्ति— जो कोई इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी होने से किसी मकान, कमरा, अहाता, जगह, जानवर अथवा वाहन पर नियंत्रण रखता है अथवा उसका उपयोग करता है, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए इसके प्रयोग की अनुमति दे जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय हो तो वह उसी रीति से दंडनीय होगा मानो कि उसने स्वयं अपराध किया था।”

(xix) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-64 का प्रतिस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-64 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“64— कोई अपराध करने के प्रयत्न हेतु शास्ति— जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करे वह इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के आधे का भागी होगा।”

(xx) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-64 के पश्चात् एक नई धारा का अंतःस्थापन— उक्त अधिनियम की धारा-64 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“64क— न्यायालय की अवमानना हेतु शास्ति :-

कलक्टर या राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विहित ऐसे पद के किसी पदाधिकारी, जो कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, के समक्ष इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा-228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।”

(xxi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-65 का प्रतिस्थापन —उक्त अधिनियम की धारा-65 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा —

“65— तंग करनेवाली तलाशी, अभिग्रहण, रोक रखना या गिरफ्तारी के लिए उत्पाद पदाधिकारी पर शास्ति —

कोई उत्पाद पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी, जो तंग करने की नियत से और शक-सुबहा के युक्तियुक्त आधार के बिना —

(क) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने के अन्तर्गत किसी बंद स्थान में प्रवेश करता है या तलाशी लेता है या प्रवेश करवाता है या तलाशी करवाता है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायी किसी वस्तु के अभिग्रहण या तलाशी के बहाने से किसी व्यक्ति के चल सम्पत्ति का अभिग्रहण करता है;

(ग) किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है, उसे रोक रखता है, गिरफ्तार करता है;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य तरीके से अपने विधिसम्मत शक्तियों से बढ़ने पर तीन महीने के कारावास से, या दस हजार रुपये तक के जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा।”

(xxii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-66 का प्रतिस्थापन —उक्त अधिनियम की धारा-66 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“66— कर्तव्य करने से इन्कार करने पर उत्पाद पदाधिकारी पर शास्ति—

कोई उत्पाद पदाधिकारी, जो बिना विधिसम्मत प्रतिहेतु के, सरकारी कर्तव्य निर्वहण से इन्कार कर देता है या उससे स्वयं को अलग कर लेता है, जब तक कि उत्पाद आयुक्त द्वारा लिखित में ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमत न हो, या जब तक कि उसने ऐसा करने के अपने आशय की बाबत अपने कार्यालय के वरीय पदाधिकारी को लिखित में दो महीने का नोटिस न दे दिया होगा, या जो कायरता का दोषी होगा, कारावास से जिसे बढ़ाकर तीन महीने किया जा सकेगा या दस हजार रुपये तक के जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा।”

(xxiii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-67 का प्रतिस्थापन —

उक्त अधिनियम की धारा-67 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“67— अन्यथा उपबंधित के सिवाय अपराध हेतु शास्ति —

जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंधों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है और ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दंड अन्यथा उपबंधित नहीं हुआ हो, तो वह कम-से-कम छह माह के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षों तक किया जा सकेगा या कम-से-कम एक लाख रुपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रुपये तक किया जा सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।”

(xxiv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-67 के बाद एक नई धारा-67क का अंतःस्थापन —

उक्त अधिनियम की धारा-67 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“67क— पूर्व दोषसिद्धि के बाद वर्धित दंड —

यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध किए जाने का पूर्व में दोषसिद्धि पाए जाने के बाद भी पुनः अपराध करता है और इस अधिनियम के अधीन उस अपराध से सिद्धदोष ठहराया गया है, प्रथम दोषसिद्धि के लिए उपबंधित दंड की दुगुनी सजा से दंडनीय होगा।”

- (xxv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-67 क के बाद एक नई धारा-67ख का अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा-67 क के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा –
“67ख- विनिर्माताओं, आदि को पक्षकार बनाने (अभियोजित करने) की न्यायालय की शक्ति –
 जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के दरम्यान किसी समय, किसी व्यक्ति, जो किसी मादक द्रव्य का विनिर्माता, वितरक या व्यौहारी न हो, द्वारा अपराध किए जाने को अभिकथित होने पर; न्यायालय का अपने समक्ष पेश साक्ष्य पर समाधान हो जाता है कि ऐसा विनिर्माता वितरक अथवा व्यौहारी उस अपराध से चिंतित है तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा-319 की उप धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसके विरुद्ध इस अध्याय के किसी धारा के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।”
- (xxvi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-67ख के पश्चात् एक नई धारा- 67ग का अन्तःस्थापन– उक्त अधिनियम की धारा-67ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–
“67ग- वर्धित शास्त्रियाँ अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा-29 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सत्र न्यायाधीश के लिए इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी प्रकार का दंडादेश पारित करना विधिसम्मत होगा।”
- (xxvii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68 का प्रतिस्थापन–उक्त अधिनियम की धारा-68 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-
“68- अपराधों का अशमन करना – इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन अशमनीय होगा।”
- (xxviii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68 के पश्चात् एक नई धारा-68क का अन्तःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा-68 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–
“68क- अधिहरण के भागी कुछ चीजें – जब कभी कोई अपराध किया गया हो जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है तो निम्नलिखित चीजें अधिहरण के भागी होंगी, यथा—
 (क) कोई मादक द्रव्य, वस्तु, स्टिल, बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत अथवा जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया हो।
 (ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण का भागी, किसी मादक द्रव्य के साथ अथवा इसके अतिरिक्त कोई मादक द्रव्य जिसे अवैध रूप से आयात किया गया हो, वहन किया गया हो, विनिर्माण किया गया हो, बेचा गया हो अथवा खरीदा गया हो;
 (ग) कोई पात्र, पैकेज अथवा आवरक जिसमें खंड (क) अथवा खंड (ख) के अधीन अधिहरण के भागी कुछ चीजें पाई जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज अथवा आवरक का अन्य 'अंश', यदि कोई हो;
 (घ) कोई जानवर, वाहन, बर्तन अथवा अन्य सवारी जिसे ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो;
 (ङ) कोई परिसर अथवा उसका हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता हो।”
- (xxix) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68क के पश्चात् एक नई धारा-68 ख का अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा-68क के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–
“68ख- “अधिहरण के भागी वस्तुओं की बिक्री अथवा उन्हें नष्ट करने का आदेश देने की कलक्टर की शक्ति— यदि प्रश्नगत वस्तु तीव्र और प्राकृतिक क्षय का भागी हो अथवा यदि उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की यह राय हो कि बिक्री लोक हित में की जाएगी अथवा बिक्री स्वामी के हित में होगी तो उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय अथवा पदाधिकारी किसी भी समय ऐसे वस्तुओं को बेचने और आगमों को सरकार को जमा करने का निदेश दे सकेगा :
 परन्तु जहाँ कोई वस्तु तीव्र और प्राकृतिक क्षय का भागी हो और नगण्य मूल्य का हो तो न्यायालय अथवा सम्बद्ध पदाधिकारी ऐसे वस्तुओं को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा आदेश मामले की परिस्थिति में समीचीन हो।”
- (xxx) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68ख के पश्चात् एक नई धारा-68ग का अंतःस्थापन– उक्त अधिनियम की धारा-68ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–
“68ग- कुछ मामलों में जिला कलक्टर द्वारा अधिहरण:—
 (1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के भागी किसी चीज को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिगृहीत अथवा निरुद्ध किया जाय तो ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत अथवा निरुद्ध करनेवाला पदाधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त विलम्ब के उक्त संपत्ति को उस जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसकी अधिकारिता में उक्त क्षेत्र आता हो।
 (2) उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिगृहीत वस्तु अथवा सामग्री को प्रस्तुत करने पर यदि जिला कलक्टर का समाधान हो जाय कि इस धारा के अधीन अपराध किया गया है, तो चाहे उस अपराध के लिए अभियोजन संस्थित कर दिया गया हो अथवा नहीं, वह ऐसी संपत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा। अन्यथा वह अधिकारवान स्वामी को उसे लौटाने का आदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिहरण का आदेश देते समय जिला कलक्टर यह भी आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति जिससे अधिहरण का आदेश संबंधित है और उसकी राय में परिरक्षित नहीं रखा जा सकता है अथवा मनुष्य के उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है, को नष्ट कर दिया जाय। जब कभी कोई अधिहृत वस्तु इन उपबंधों के अनुरूप नष्ट किया जाय तो यह यथास्थिति अधिहरण अथवा समपहरण का आदेश करनेवाले मजिस्ट्रेट अथवा पदाधिकारी की उपस्थिति में अथवा उत्पाद पदाधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा।

(4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन अधिहरण आदेश पारित करने के बाद जिला कलक्टर की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह अधिहृत संपत्ति अथवा उसके किसी भाग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने अथवा विभाग के माध्यम से निपटाने का आदेश दे सकेगा।

(5) जिला कलक्टर ऐसे अधिहरण के एक माह के अन्दर उत्पाद आयुक्त को अधिहरण की सभी विशिष्टियों का पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।”

(xxxi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68ग के पश्चात् एक नई धारा का अन्तःस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-68ग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“68घ— अधिहरण और नष्ट करने के आदेश का अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप नहीं करना —

धारा-68 ग के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी अन्य ऐसे दंड को अधिरोपित करने से नहीं रोकेगा जिससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन इसका भागी है।

(xxxii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68घ के पश्चात् एक नई धारा- 68ड का अन्तःस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-68घ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“68ड— अधिहरण में अधिकारिता का वर्जन — जब कभी कोई मद्य, सामग्री, स्टिल, बर्तन, औजार अथवा उपकरण अथवा कोई पात्र, पैकेज, कोई पशु गाड़ी, बर्तन अथवा किसी अपराध को करने में प्रयुक्त अन्य वाहन इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत अथवा निरुद्ध किया जाता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी न्यायालय को ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश देने की अधिकारिता नहीं होगी।”

(xxxiii) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68ड में एक नई धारा-68च का अंतःस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-68ड के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“68च— अधिहृत वस्तु को कलक्टर के हवाले करना —

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जब कोई वस्तु, जानवर या चीज या तो न्यायालय के आदेश से या अन्यथा, सम्यक् रूप से अधिहृत किया जाता है तो ऐसी वस्तु, जानवर अथवा चीज को निपटाने के लिए कलक्टर के हवाले कर दिया जाएगा अथवा यथाविहित रीति से उसका निपटान कर दिया जाएगा।

(2) जब धारा-68ग के अधीन किसी संपत्ति के अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जाता है और ऐसा आदेश उस संपत्ति के संपूर्ण या किसी हिस्से की बाबत अंतिम होता है तो यथास्थिति ऐसी संपत्ति अथवा उसका हिस्सा बिना किसी विल्लंगम (भार) के राज्य सरकार में निहित होगी।”

(xxxiv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68च के पश्चात् एक नई धारा 68छ का अन्तःस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-68च के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“68छ— परिसरों का सीलबंद किए जाने के अधीन होना —

यदि किसी उत्पाद पदाधिकारी अथवा उप निरीक्षक से अन्यून किसी पुलिस पदाधिकारी के नोटिस में यह बात आए कि इस अधिनियम के अधीन किसी विशिष्ट परिसर अथवा उसके किसी हिस्से का उपयोग कोई अपराध करने के लिए किया जाता है अथवा किया जाता रहा है तो वह तुरत परिसरों को सीलबंद कर सकेगा और उसके अधिहरण हेतु कलक्टर को प्रतिवेदन भेज सकेगा:

परन्तु यदि उक्त परिसर अस्थायी संरचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो तो उत्पाद पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी कलक्टर के आदेश से उस अस्थायी संरचना को गिरा दे सकेगा।”

(xxxv) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68छ के पश्चात् एक नई धारा- 68ज का अंतःस्थापन — उक्त अधिनियम की धारा-68छ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा।

“68ज— कुछ मामलों में जहाँ मादक द्रव्य अथवा भांग/गाँजा बेची जाती हो उन्हें बंद करने की कलक्टर की शक्ति —

(1) यदि कलक्टर की यह राय हो कि मादक द्रव्य बेचे जाने वाले किसी स्थान को बंद करना लोक शांति के हित में है तो कलक्टर के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह लिखित आदेश से ऐसे मादक द्रव्य को बेचने के लिए अनुज्ञप्ति रखनेवाले व्यक्ति को ऐसे स्थान को ऐसे समय अथवा ऐसी अवधि तक बंद करने के लिए कहेगा जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(2) यदि दंगा अथवा अवैध जमावड़ा सन्निकट हो अथवा होता हो तो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे स्थान को बंद करने तथा ऐसी अवधि तक उसे बंद रखने का निदेश देगा जो वह उचित समझे और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उप धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति स्वयं उस स्थान को बंद करेगा।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश यदि किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया हो तो कलक्टर के समक्ष और यदि कलक्टर द्वारा दिया गया हो तो उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपीलनीय होगा।”

(xxxvi) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-68ज के पश्चात् एक नई धारा 68झ इनका अंतःस्थापन – उक्त अधिनियम की धारा-68ज के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“68झ-सामूहिक जुर्माना – यदि कलक्टर की यह राय हो कि कोई विशेष गाँव अथवा शहर अथवा किसी गाँव अथवा शहर के अंदर कोई क्षेत्र अथवा उस गाँव अथवा शहर में रहनेवाला कोई विशेष समूह/समुदाय इस अधिनियम के किसी उपबंध का बारबार उल्लंघन कर रहा है अथवा इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए अभ्यासतः प्रणत है अथवा इस अधिनियम के प्रशासन को बाधा पहुँचा रहा है तो कलक्टर शहर अथवा गाँव के ऐसे क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के ऐसे समूह पर यथोचित सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे जुर्माना की वसूली कर सकेगा मानो कि वे बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम IV, 1914) के अधीन लोक मांग थी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

31 मार्च 2016

सं० एल0जी0-01-06/2016/51 लेज:-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2016 को अनुमत बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[Bihar act 3, 2016]
Bihar Excise (Amendment) Act, 2016

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR EXCISE ACT, 1915

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement.** – (1) This Act may be called the Bihar Excise (Amendment) Act, 2016.
(2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section-1 of Bihar and Orissa Act II of 1915.** – (1) For sub-section (2) of section-1 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915) (hereinafter referred to as the said Act), the following shall be substituted, namely:-
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- 3. Insertion of a new sub-section(17A) after sub-section(17) of Section-2 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.-** After the sub-section(17) of Section-2, the following new sub-section (17A) shall be inserted, namely:
“(17A) – Public Place means any place to which public have access, whether as a matter of right or not and includes all places visited by general public and also includes any open space.”
- 4. Insertion of a new sub-section (22) after sub-section (21) of Section-2 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- (i)** After the sub-section (21) of Section-2, the following new sub-section (22) shall be inserted, namely:
“(22) – Unauthorized Places means those places which are public

places and where consumption of liquor is not allowed except under a valid license or permit.”

5. Insertion of a new section-4A after section-4 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.-

(i) After section-4 the following new section-4A shall be inserted, namely:-

“4A. Power to declare intoxicant. -Notwithstanding anything mentioned under section-2, the State Government may, by notification, declare for the purposes of this Act or any portion thereof such items or commodities which can be used as a substitute for alcohol, to be intoxicants.”

6. Amendment of Section-19 of Bihar and Orissa Act.II of 1915 (i) Deletion of Clause 2(b) - Clause (b) of sub-section (2) of Section-19 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915), shall be deleted.

(ii) Amendment of sub-section (4) of Section-19 - For sub-section (4) of section- 19 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar and Orissa Act II of 1915), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in this Act and the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the State Government may by notification, absolutely prohibit the manufacture, bottling, distribution, sale, possession or consumption by any manufactory, bottling plant, license holder or any person in the whole State of Bihar or in any specified local area in respect of all or any of the intoxicants either totally or subject to such conditions as it may prescribe.”

7. The amendment and substitution of the provisions under Chapter VIII, “Offences and Penalties” of the Bihar and Orissa Act II of 1915.-

(i) *Substitution* of new section for section- 47 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 47 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“47- Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc. – Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, granted under this Act or

without a valid license, permit or pass issued under this Act -

(a) manufactures, possesses, sells, distributes, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant; or

(b) Cultivates any hemp plant; or

(c) Constructs or establishes or works any manufactory, distillery, brewery or warehouse; or

(d) bottles any liquor for the purpose of sale; or

(e) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, or premises, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant ;or

(f) possesses any material or film either with or without the State

Government logo or logo of any State or wrapper or any other thing in which liquor can be packed or any apparatus or implement or machine for the purpose of packing any liquor; or

(g) sells any intoxicant, collects, possesses or buys any intoxicant beyond the prescribed quantity; or

(h) removes any intoxicant from any distillery, brewery, warehouse, other place of storage licensed, established, authorized or continued under this Act;

Shall be punishable with imprisonment for a term not less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.”

(ii) *Substitution* of new section for section- 47A of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 47A of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“47A- Commission of offence by companies. – (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of commission of the offence, shall be deemed to be guilty of offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that where a company has different establishment or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Chief Executive and the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for the conduct of business shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) This section shall not apply to such companies where the majority shareholding is held by Central or any State Government or such companies as the Board may exempt.

Explanation. – For the purpose of this section -

“company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and “director”, in relation to the firm, means a partner in the firm.”

(iii) *Substitution* of a new section for section- 48 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 48 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“48- Presumption as to commission of offence in certain cases. – (1) In prosecution under any relevant provision of this Act, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the accused person has committed the offence punishable under that section in respect of any intoxicant, premises, still, utensil, implement or apparatus, for the possession of which he is unable to account satisfactorily.

(2) Where any animal, vessel, cart or other vehicle and any premises is used in the commission of an offence under this Act, is liable to confiscation and/or liable to be sealed, the owner or occupier thereof shall be deemed to be guilty of such offence and such owner shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, unless he satisfies the court that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence.”

(iv) *Substitution* of a new section for section- 49 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 49 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“49- Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption. – Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit, which has been denatured or has in his possession any spirit in respect of which he knows or has reason to believe that such attempt has been made, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.”

(v) *Substitution* of a new section for section- 50 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 50 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“50- Penalty for mixing noxious substance with liquor. – Whoever mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him any noxious drug or any foreign ingredient likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings, shall be punishable -

(a) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;

(b) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused to any person, with rigorous imprisonment for a term which shall be not less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;

(c) if as a result of such an act, any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which shall not be less than eight years but which may extend to life imprisonment and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees

(d) if as a result of such an act, no injury is caused, with imprisonment which shall not be less than eight years but which may extend to ten

years and fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to five lakh rupees.

Explanation. – For the purpose of this section the expression “grievous hurt” shall have the same meaning as in section 320 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).”

(vi) *Substitution* of a new section for section- 51 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 51 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“51- Penalty for selling spurious liquor. – Whosoever sells or keeps or exposes for sale as foreign liquor imported into India which he knows or has reason to believe to be Indian liquor shall be punishable with imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.”

(vii) *Substitution* of a new section for section- 52 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 52 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“52- Penalty for fraud. – Whoever,

(a) sells or keeps or exposes for sale, as foreign liquor, any liquor which he knows or has reason to believe to be country liquor, or

(b) marks any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor or the cork of any such bottle, or deals with any bottle, case, package or such other receptacle containing country liquor or deals with any bottle, case, package or other receptacle containing country liquor with the intention of causing it to be believed that such bottle, case, package or other receptacle contains foreign liquor ;

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.”

(viii) *Substitution* of a new section for section- 53 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 53 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“53- Penalty for consumption of liquor in public place. – Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made there under -

(a) consumes liquor in a public place or an unauthorized place; or

(b) consumes liquor in a public place or an unauthorized place or an authorized place and creates nuisance; or

(c) permits drunkenness or allows assembly of unsocial elements in his premises or on the premises of liquor establishment;

shall be punishable,

(1) in case of an offence falling under clause (a), with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.

(2) In case of an offence falling under clause (b) with a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and

with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees,.

(3) In case of an offence falling under clause (c), with a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.”

(ix) *Substitution* of a new section for section- 54 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 54 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“54- Penalty for possession of intoxicant in respect of which an offence has been committed. – If any person, without lawful authority, has in his possession, any intoxicant, knowing or having reason to believe the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, or knowing or having reason to believe that the prescribed duty has not been paid thereon, he shall be punished with imprisonment for a term which may not be less than eight years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees and in default of payment of fine, shall be punished with a further imprisonment for a term which may extend to one year.”

(x) *Substitution* of a new section for section- 55 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 55 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“55- Penalty for consumption of liquor in chemist’s shop. – (1) if a chemist, druggist, apothecary or a keeper of a dispensary, allows any liquor which has not been bonafidely medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person, he shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees

(2) If a person consumes any such liquor on such premises, he shall be punishable with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.”

(xi) *Substitution* of a new section for section- 56 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 56 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“56- Penalty for unlawful advertisement. – Whoever prints, publishes or gives an advertisement directly or indirectly in any media, including films & television, or any social platform soliciting the use of any liquor, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years or with fine which may extend to ten lakh rupees, or with both:

Provided that this section shall not apply to catalogue and price list and advertisement generally or specially approved by the Excise Commissioner for display at the points of sale for consumer information and education.”

(xii) *Substitution* of a new section for section- 57 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 57 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“57- Penalty for import, export, manufacture, transports, sale or possession by one person on account of another. – (1) Where any intoxicant has been imported, exported, manufactured, transported or sold or is possessed by any person on account of any other person and such other person knows or has reason to believe that such import, export, manufacture, transport or sale was or that such possession is, on his account, the intoxicant shall, for the purpose of this Act, be deemed to have been imported, exported, transported, sold or manufactured by or to be in possession of such other person who shall be punishable with a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine which may extend up to ten lakh rupees.

(2) nothing in sub-section (1) shall absolve any person who manufactures, sells or has in possession any intoxicant on account of another person, from liability to any punishment under this Act or unlawful manufacture, sale or possession of such intoxicant.”

(xiii) *Substitution* of a new section for section- 58 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 58 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“58- Order by Collector to pay compensation.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Collector, when passing an order under this Act may, if he is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of liquor sold in any place, order the manufacturer and seller, whether or not he is convicted of an offence, to pay, by way of compensation, an amount not less than four lakh rupees to the legal representatives of each deceased or two lakh rupees to the person to whom grievous hurt has been caused, or twenty thousand rupees to the person for any other consequential injury:

Provided that where the liquor is sold in a licensed shop, the liability to pay the compensation under this section shall be on the licensee.

(2) The Collector may recover the said compensation as “Public Demand” under the Public Demands Recovery Act, 1914 (Bihar and Orissa Act IV of 1914).

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the High Court:

Provided that no appeal can be filed by the accused unless the amount ordered to be paid under sub-section (1) is deposited by him in the court:

Provided further that the High Court may entertain an appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.”

(xiv) *Substitution* of a new section for section- 59 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 59 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“59- Penalty for misconduct of licensees, etc. – Whoever being a holder of a license or permit granted or issued under this Act or being in the employment of such holder and acting on his behalf, -

(a) Fails to produce such license or permit on demand by any excise officer or any other officer duly empowered to make such demand; or

(b) Willfully does or omits to do anything in contravention of the conditions of his license or permit not otherwise provided in this Act; or

(c) fails to cooperate during the inspection by any excise officer of his premises ,

(d) Fails to submit returns.

Shall on conviction , be punished -

(1) In the case of an offence falling under clause (a), with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(2) In the case of an offence falling under clause (b), with an imprisonment for a term which shall not be less than seven years but may extend to ten years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.

(3) In the case of an offence falling under clause (c) and (d), with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees and ten thousand rupees per day for subsequent delay."

(xv) *Substitution* of a new section for section- 60 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 60 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“60- Penalty for employing minors or women or selling liquor to minors. – (1) If any license holder or any person sells or delivers any liquor to any person apparently under the age of twenty-one years, he shall be punishable with a term which shall be not be less than seven years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees

(2) If a license holder employs any person under the age of twenty-one years or any woman, he shall be punishable with a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees, or with both.”

(xvi) *Substitution* of a new section for section- 61 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 61 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“61- Penalty for assault and obstruction. – Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860) any person who assaults or threatens to assault or obstructs or attempts to obstruct any excise officer or police officer or any other officer in the discharge of his official duties shall be punishable with a term which shall be not be less than eight years but which may extend to ten years and with fine, which

shall not be less than one lakh rupees which may extend to ten lakh rupees.”

(xvii) Substitution of a new section for section- 62 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 62 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“62- Penalty for non-payment of duty or fee. – If any person fails to pay any duty or fee, which under this Act he is liable to pay, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees.”

(xviii) Substitution of a new section for section- 63 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 63 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“63- Penalty for allowing premises, etc., to be used for commission of an offence. – Whoever, being a licensee under this Act and having the control or use of any house, room, enclosure, space, animal or conveyance, knowingly permits it to be used for commission by any other person of an offence punishable under any provision of this Act, shall be punishable in the same manner as if he had himself committed the said offence.”

(xix) Substitution of a new section for section- 64 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 64 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“64- Penalty for attempt to commit an offence. – Whoever attempts to commit an offence punishable under this Act, shall be liable for half the maximum punishment provided for the offence under this Act.”

(xx) Insertion of a new section- 64A after section- 64 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 64 of the said Act the following shall be inserted, namely

“64 A- Penalty for Contempt of Court.- Every Proceeding under this Act before a Collector or before any officer, of such rank as the State Government may by notification prescribe, who is exercising power of the Collector, shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section- 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).”

(xxi) Substitution of a new section for section- 65 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 65 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“65- Penalty on excise officer for making vexatious search, seizure, detention or arrest. – Any excise officer or other person who vexatiously and without reasonable ground for suspicion -

- (a) Enters or searches or causes to be entered or searched any closed place under color of exercising any power conferred by this Act;
- (b) Seizes the movable property of any person on the pretext of seizing or searching for any article liable to confiscation under this Act;
- (c) Searches, detains or arrests any person;
- (d) In any other way exceeds his lawful powers under this Act, shall be liable to imprisonment for a term which may extend to three

months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.”

(xxii) *Substitution* of section- 66 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 66 of the said Act, the following shall be substituted, namely:-

“66- Penalty on excise officer refusing to do duty. – Any excise officer who, without lawful excuse, refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office, unless expressly allowed to do so in writing by the Excise Commissioner, or unless he shall have given to his official superior officer two months’ notice in writing of his intention to do so, or who shall be guilty of cowardice shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.”

(xxiii) *Substitution* of a new section for section- 67 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 67 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“67- Penalty for offences not otherwise provided for. – Whoever does any act in contravention of any of the provisions of this Act or any rule or order made there under and punishment for which has not been otherwise provided for such contravention, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees or both.”

(xxiv) *Insertion* of a new section- 67A after section- 67 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 67 of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“67A- Enhanced punishment after previous conviction. –If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act, subsequently commits and is convicted of an offence under this Act, he shall be liable to twice the punishment, provided for the first conviction.”

(xxv) *Insertion* of a new section- 67B after section- 67A of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 67A of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“67B- Power of court to implead manufacturer, etc. – Where at any time during the trial of an offence under this Act, alleged to have been committed by any person, not being the manufacturer, distributor or dealer of any intoxicant, the court is satisfied, on the evidence adduced before it, that such manufacturer, distributor or dealer is also concerned with that offence then the court may notwithstanding anything contained in the sub-section (3) of section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), proceed against him under any section of this chapter.”

(xxvi) *Insertion* of a new section- 67C after section- 67B of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 67B of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“67C- Magistrate’s power to impose enhanced penalties. – Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), it shall be lawful for any Sessions Judge to pass any sentence, authorized by this Act.”

(xxvii) *Substitution* of a new section for section- 68 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- For section- 68 of the said Act the following shall be substituted, namely:-

“68- Non-compounding of offences. – Any offence committed in contravention of the provisions of this Act shall be non-compoundable under this Act.”

(xxviii) *Insertion* of a new section- 68A after section- 68 of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68 of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“68A- Certain things liable to confiscation. – Whenever an offence has been committed, which is punishable under this Act, following things shall be liable to confiscation, namely -

- (a) any intoxicant, material, still, utensil, implement, apparatus in respect of or by means of which such offence has been committed;
- (b) any intoxicant unlawfully imported, transported, manufactured, sold or brought along with or in addition to, any intoxicant, liable to confiscation under clause (a);
- (c) any receptacle, package, or covering in which anything liable to confiscation under clause (a) or clause (b), is found, and the other contents, if any, of such receptacle, package or covering;
- (d) any animal, vehicle, vessel, or other conveyance used for carrying the same.

(e) Any premises or part thereof that may have been used for committing any offence under this Act.”

(xxix) *Insertion* of a new section- 68B after section- 68A of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68A of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“68B- Power of Collector, etc., to order sale or destruction of articles liable to confiscation. –If the article in question is liable to speedy and natural decay, or if the Excise Commissioner, Collector, Court or the officer authorized by the State Government in this behalf is of opinion that the sale would be in public interest or the sale would be for the benefit of the owner, the Excise Commissioner, Collector, Court or the officer may at any time direct such articles to be sold and proceeds be deposited with the Government:

Provided that, where anything is liable to speedy and natural decay, or is of trifling value, the Court or the officer concerned, may, order such thing to be destroyed, if in its or his opinion such order is expedient in the circumstances of the case.”

(xxx) *Insertion* of a new section- 68C after section- 68B of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68B of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“68C- Confiscation by District Collector in certain Cases:-

(1)Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for

the time being in force, where anything liable for confiscation under this Act is seized or detained under the provisions of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, without any reasonable delay produce the said property before the District Collector who has jurisdiction over the said area.

(2) On production of the said seized articles or materials under sub-section (1), the District Collector if satisfied that an offence under this Act has been committed, may, whether or not prosecution is instituted for the commission of such an offence, order confiscation of such property. Otherwise he may order its return to the rightful owner.

(3) While making an order of confiscation under sub-section (2), the District Collector may also order that such of the properties which the order of confiscation relates, which in his opinion cannot be preserved or are not fit for human consumption, be destroyed. Whenever any confiscated article has to be destroyed in conformity with these provisions, it shall be destroyed in the presence of a Magistrate or officer ordering the confiscation or forfeiture, as the case may be, or in the presence of the Excise Officer not below the rank of an Inspector.

(4) Where the District Collector after passing an order of confiscation under sub-section (2) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may order the confiscated property or any part thereof to be sold by public auction or dispose of departmentally.

(5) The District Collector shall submit a full report of all particulars of confiscation to the Commissioner of Excise within one month of such confiscation.”

(xxxix) Insertion of a new section- 68D after section- 68C of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68C of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“68D- Order of confiscation and destruction not to interfere with other punishment. -The order of any confiscation under section 68C shall not prevent imposition of any order punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.”

(xxxix) Insertion of a new section- 68E after section- 68D of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68D of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“68E- Bar of jurisdiction in confiscation. - Whenever any liquor, material, still, utensil, implements or apparatus or any receptacle, package, any animal cart, vessel, or other conveyance used in committing any offence, is seized or detained under this Act, no court shall have, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, jurisdiction to make any order with regard to such property.”

(xxxix) Insertion of a new section- 68F after section- 68E of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68E of the said Act the following shall be inserted, namely:-

“68F- Confiscated article to be made over to the Collector. -

(1) Subject to the provisions of this Act when any article, animal or thing is duly confiscated either by the order of the court or otherwise, such

article, animal or thing shall be made over to the Collector for disposal or be disposed of as prescribed.

(2) When an order for confiscation of any property has been passed under section 68C and such order has become final in respect of the whole or any portion of such property, such property or portion thereof, as the case may be, shall vest in the State Government free from any encumbrance.”

(xxxiv) *Insertion of a new section- 68G after section- 68F of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68F of the said Act the following shall be inserted, namely:-*

“68G- Premises liable to be sealed. If it comes to the notice of any Excise officer or any police officer not below the rank of a Sub Inspector that a particular premises or a part thereof is or has been used for committing any offence under this Act, he may immediately seal the premises and send a report to the Collector for the confiscation of the same.

Provided that if the said premises are temporary structures which cannot be effectively sealed , then the Excise Officer or the police officer, with the order of the Collector, may demolish such temporary structures.”

(xxxv) *Insertion of a new section- 68H after section- 68G of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68G of the said Act the following shall be inserted, namely:-*

“68H- Power of Collector to close places where intoxicant or hemp is sold in certain cases. – (1) If the Collector is of opinion that it is in the interest of public peace to close any place in which any intoxicant is sold, it shall be lawful for the Collector, by an order in writing to the person holding a license for the sale of such intoxicant, to require him to close such place at such time or for such period as may be specified in the order.

(2) If a riot or unlawful assembly is imminent, or takes place, it shall be lawful for any Executive Magistrate who is present to direct that such place shall be closed and kept closed for such period as he thinks fit, and in the absence of any Executive Magistrate, the person referred to in sub-section (1) shall, himself, close such place.

(3) Any order given under this section, shall be appealable before Collector, if given by any other Executive Magistrate, and before the Excise Commissioner, if given by the Collector.”

(xxxvi) *Insertion of a new section- 68I after section- 68H of the Bihar and Orissa Act II of 1915.- After section- 68H of the said Act the following shall be inserted, namely:-*

“68I-Collective Fine. - If the Collector is of the opinion that a particular village or town or any locality within a village or town or any particular group/community living in that village or town have been repeatedly violating any of the provisions of this Act or are habitually prone to commit an offence under this Act or are obstructing the administration of this Act, then the Collector may impose a suitable collective fine on such group of people living in such area of the town or

village and may recover such fine as if they were Public Demands under the Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914(Bihar and Orissa Act IV of 1914).”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 256-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>